पत्र की च[illegible] प्रति पत्रावली के साथ संलग्न की
गई। पत्रावली में आदेश 32 नियम 3 के प्रार्थना पत्र
को शामिल करने हेतु साक्ष्य पेश करना चाहते
है पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक
16-12-19 को पेश हो

सहायक कल[illegible] उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष वकील उपस्थित हुए
पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 4
पर वास्ते आदेश दिनांक 18-12-19 को पेश हो

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा [illegible] पर बहस सुनी गई। तथा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत 151 CPC पर बहस सुनी गई। वकील

Form No. 111

फर्द अहकाम

नियम 20

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकाम – खेरवाडा

रेवाराम बनाम तेजप्रकाश

धारा 88, 188 RTAct नं. 27/2015 सत्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रतिवादी (1) द्वारा दिनांक 15-11-17 को पेश कर निवेदन किया कि दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादी नं० (5) मौत थी अतः मृत व्यक्ति के विरुद्ध दावा पेश किया गया है अतः दावा खारिज फरमाया जावे तथा बताया कि वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत CPC धारा O22R4 भी खारिज फरमावे क्योंकि इस स्थिति मे O22R4 मेन्टेनेबल नहीं है इसके समर्थन में वकील प्रतिवादी ने RRT 2010(2) RRT1207 तथा राजस्थान हाईकोर्ट की दलील पेश की। वकील वादी ने बताया कि प्रतिवादी नं०(5) का नाम जमाबंदी मे था अतः जमाबंदी अनुसार हमने उसको प्रतिवादी बनाया तथा जैसे ही मालूम पड़ा उसका नाम हटाने तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु O22R4 मे प्रार्थना पत्र पेश कर दिया केवल एक प्रतिवादी के मृत होने से दावा खारिज करने से वादी को [illegible] क्षति होगी। साथ ही दावा 2015 मे पेश किया गया है तथा प्रतिवादी दो वर्ष बाद [illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कर रहे हैं कि दावा खारिज किया जावे अतः [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक[illegible] हुक्म की तामील में [illegible]

करवा रहे है अतः इनका आ.दि-151 का प्रार्थना पत्र खारीज कर 022R4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उभय पक्षकिर हस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात आ.दि. प्रार्थना पत्र 151 CPC [illegible] तथा प्रार्थना पत्र 022R4 को पत्रावली मे शामील दस्तावेजी साक्ष्यो तथा दलील के आधार निर्णीत किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ.दी. 151 को स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश नही किया जा सकता है अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत CPC धारा 022R4 भी अस्वीकार किया जाता है क्योंकि 022R4 अगर प्रतिवादी दावा पेश करने के पश्चात की मृत्यु होती है, तो ही लाया जा सकता है अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है वादी चाहे तो पुनः नया वाद ला सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, डीग्री पर्चा जारी हो पत्रावली